न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।
प्रस्तुत समक्षः– श्री मनीष कुमार पाण्डेय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
परिवाद पत्र सं0 – 302सी /2025
राजेन्द्र सिंह बनाम प्रियंका कुमारी तथा अन्य
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता–अखिलेश सिंह
प्रतिरक्षा के विद्वान अधिवक्ता –उमेशचंद्र सिन्हा
1

26.03.2026 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामले में वाद आज आदेश हेतू निर्धारित है। परिवादी की ओर से पैरवी है। मामले में न्यायालय शपथ पर बयान ,जॉच साक्ष्य, एवं परिवाद पत्र का अवलोकन करती है। शपथ पर बयान के अनुसार घटना 06.09.2025 की है। प्रियंका, विधाभूषण, रजनीश, पूजा, अंचला, गुडिया मेरे घर आयी। प्रियंका मेरी बहु है। उसके अत्याचार से मेरा लड़का आत्म–हत्या कर लिया। वह लोग आके बहुत मार–पीट किया। मेरा किचन तोड़ दिया और गाली–गलौज किया। जेवर तथा 12,000/– रूपये लेकर चला गया और धमकी देता है की जान से मार देंगे।

प्रस्तुत मामलें में न्यायालय द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में परिवादी ने कहा की मेरा तीन लड़का है। लड़के घर में रहते है। प्रियंका की शादी 13.12.2023 को हुई थी। अभियुक्तगण मुझे चेन से रहने नही देता तथा परेशान करते रहता है।

प्रस्तुत मामला भा0 न्याय0 संहि0 के लागू होने से बाद का है अतः अभियुक्तो को नोटिस निर्गत किया गया है। अभियुक्त उपस्थित हुए। अभियुक्तो का कहना है की परिवादी के पुत्र की मृत्यु रेलवे की नौकरी में कार्य के अधिक बोझ के कारण 28.02.2025 को आत्म–हत्या करने से हुई। मामलें में अभियुक्तो का उनसे का कोई लेना देना नही है। अभियुक्तो को जान–बूझ कर फॅसाया जा रहा हैं। अतः परिवाद पत्र को खारिज करने की कृपा की जाए।

प्रस्तुत मामले में जब न्यायालय परिवाद पत्र पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं परिवादी के बयान , जॉच साक्षी के साक्ष्य के अवलोकन के पश्चात् न्यायालय यह पाती है की मामलें में परिवादी के घर पर आकर प्रियंका तथा अन्य अभियुक्तो ने आकर मार–पीट गाली–गलौज किया जिसमें विद्याभूषण, रजनीश, पूजा, अंचला, गुड़िया भी थी। यह की परिवादी के कथनानुसार प्रियंका के अत्याचार से उनके लड़के ने फरवरी में आत्म–हत्या कर ली। उस संबंध में उन्होने मृत्यु प्रमाण पत्र एवं स्व हस्त लिखित मृतक के आत्म–हत्या संबंधी नोट की छायाप्रति भी न्यायालय में जमा की। अभिलेख पर यह भी तथ्य आया है की अभियुक्तो ने किचन तोड़ दिया तथा जेवर एवं 12,000/– रूपये लेकर चला गया। साक्षियो ने घटना का समर्थन किया है।

अब न्यायालय समस्त साक्ष्यों के आधार पर समस्त अभिलेख का अवलोकन करती है तब न्यायालय **भगवती देवी बनाम् उतर प्रदेश राज्य 1975 ए. आई. आर.83 एस.सी. में दिए गए निर्देश जिसमें कहा गया है की शिकायत का संज्ञान लेना प्रारंभिक जॉच का हिस्सा है, संज्ञान का अर्थ यह नहीं है की आरोपी को दोषी माना जा रहा है बल्कि यह केवल यह तय करने के लिए है की मामला सुनवाई योग्य है की नहीं।**

अगर शिकायत प्रथम दृष्ट्या अपराध को दर्शाती है तो मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने का अधिकार है, न्यायालय को प्रारंभिक चरण में अत्यधिक साक्ष्यों की मांग नहीं करनी चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अन्य निर्णय नुपुर तलवार बनाम केंद्रीय जॉच ब्यूरो (2012)11 एस.सी.सी. 465 में स्पष्ट कहा है की मजिस्ट्रेट को शिकायत केतथ्यों का विश्लेषण करना चाहिए, अगर प्रथम

ARWAL CIVIL COURT

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।
प्रस्तुत समक्षः– श्री मनीष कुमार पाण्डेय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
परिवाद पत्र सं0 – 302सी /2025
राजेन्द्र सिंह बनाम प्रियंका कुमारी तथा अन्य
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता–अखिलेश सिंह
प्रतिरक्षा के विद्वान अधिवक्ता –उमेशचंद्र सिन्हा
2

दृष्ट्या मामला बनता है तो संज्ञान लेने से इंकार नहीं किया जा सकता। संज्ञान के समय गहराई से साक्ष्य की सत्यता की जॉच करना आवश्यक नहीं है, यह कार्य मुकदमे की सुनवाई के दौरान किया जाएगा।

न्यायालय के सामने परिवादी के द्वारा की गयी शिकायत के तथ्यों के विश्लेषण के संबंध में एक तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण प्रियंका कुमारी, विद्याभूषण प्रसाद, रजनीश कुमार, पूजा कुमारी, अंचला कुमारी, गुड़िया कुमारी परिवादी के घर आकर मार–पीट तथा उसका किचन तोड़ दिया एवं गाली–गलौज किया। जेवर तथा 12,000/– रूपये भी लेकर चले गये तथा जान मारने की धमकी देते है। इस प्रकार से मामलें में समस्त साक्ष्य के आलोक में मामलें में मार–पीट, चोरी, रिष्टि, धमकी, का अपराध बनता प्रतीत होता है। इस प्रकार से प्रस्तुत मामले में न्यायालय मामले में संज्ञान के स्तर पर जब न्यायालय के समक्ष उपस्थित तथ्यों का अवलोकन करती है तो न्यायालय यह पाती है कि संज्ञान के समय न्यायालय केवल यह देखती है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है या नहीं। प्रस्तुत मामले में न्यायालय के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर न्यायालय यह पाती है कि मामले में अतः प्रस्तुत न्यायालय मामले में अभियुक्तगण प्रियंका कुमारी, विद्याभूषण प्रसाद, रजनीश कुमार, पूजा कुमारी, अंचला कुमारी, गुड़िया कुमारी के विरूद्ध भा0 न्याय0 संहि0 की धारा– 115(2), 351(2), 329(3), 324(4), 303(2)/3(5) के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता पाती है अतः **अभियुक्तगण प्रियंका कुमारी, विद्याभूषण प्रसाद, रजनीश कुमार, पूजा कुमारी, अंचला कुमारी, गुड़िया कुमारी के विरूद्ध भा0 न्याय0 संहि0 की धारा– 115(2), 351(2), 329(3), 324(4), 303(2)/3(5)** के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है।

परिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह दिनांक–26.04.2026 तक समन की अपेक्षिताएं जमा करें।

लेखापित,

मनीष कुमार पाण्डेय
(जे0 ओ0 कोड बी0 आर0 00961)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,अरवल।

ARWAL CIVIL COURT